मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः09.04.2025

थाना चुनार क्षेत्रान्तर्गत शिवशंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के पास मिले एक व्यक्ति की शव की घटना से सम्बन्धित 02 अभियुक्त गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त आलाकत्ल (पत्थर) बरामद —

थाना चुनार, जनपद मीरजापुर पर दिनांकः 08.04.2025 को वादी विजय सिंह पुत्र स्व0 हौसिला प्रसाद सिंह निवासी शिवाजीपुरम कैलहट थाना चुनार जनपद मीरजापुर द्वारा आशंका के आधार पर नामजद 02 अभियुक्तों के विरूद्ध वादी के पुत्र राहुल सिंह उम्र करीब 32 वर्ष की हत्या कर शिवशंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के किनारे फेकने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। जिसके आधार पर थाना चुनार पर मु0अ0सं0-167/2025 धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ की गयी।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर 'सोमेन बर्मा' द्वारा तत्समय घटनास्थल का निरीक्षण कर अपर पुलिस अधीक्षक ऑपरेशन व क्षेत्राधिकारी चुनार के नेतृत्व में पुलिस टीमें गठित कर घटना का यथाशीघ्र अनावरण करने हेतु निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना चुनार पर पंजीकृत उपरोक्त अभियोग की विवेचना के क्रम में सुरागरसी पतारसी व इलेक्ट्रानिक/भौतिक साक्ष्य संकलित करते हुए आज दिनांकः 09.04.2025 को थाना चुनार पुलिस टीम द्वारा मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना चुनार क्षेत्रांतर्गत शिवशंकरी धाम अण्डर पास परसोधा पुल के नीचे से घटना से सम्बन्धित 02 नफर अभियुक्तों 1. आशीष कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह व 2. महेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासीगण शिवाजीपुरम कैलहट थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद आलाकत्ल खूनालूद पत्थर बरामद किया गया। थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-167/2025 धारा 103(1),3(5) बीएनएस में नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्तों को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है।

विवरण पूछताछ—

गिरफ्तार अभियुक्त आशीष कुमार सिंह द्वारा पूछताछ में बताया गया की राहुल सिंह (मृतक) की मोहल्ले की लड़की से प्रेम करता था, जिस बात को लेकर राहुल विरोध करता था। अभियुक्त आशीष द्वारा अपने साथी महेन्द्र कुमार सिंह के साथ मिल कर योजनाबद्ध तरीके से शिवशंकरी धाम मेला देखने के बहाने राहुल सिंह को उसके घर से अपने साथ ले जाया गया। शिवशंकरी धाम मंदिर के पीछे रेलवे ट्रैक के पास राहुल को शराब पिलायी गयी तथा नशे की हालत में होने पर पत्थर से मारकर हत्या कर दी गयी।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण —

1. आशीष कुमार सिंह पुत्र अशोक कुमार सिंह निवासी शिवाजीपुरम कैलहट थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-25 वर्ष।
2 महेन्द्र कुमार सिंह पुत्र रमाशंकर सिंह निवासी शिवाजीपुरम कैलहट थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-35 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-167/2025 धारा 103(1),3(5) बीएनएस थाना चुनार जनपद मीरजापुर।

आपराधिक इतिहास- (आशीष कुमार सिंह)

1. मु0अ0सं0-09/2023 अंतर्गत धारा एन.डी.पी.एस. जीआरपी थाना हटिया।

विवरण बरामदगी —

☐ एक अदद खूनालूद पत्थर (आलाकत्ल)

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय —

शिवशंकरी धाम अण्डर पास परसोधा पुल के नीचे से, आज दिनांकः 09.04.2025 को समय 08.00 बजे।

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

☐ प्रभारी निरीक्षक रवीन्द्र भूषण मौर्य मय पुलिस टीम थाना चुनार जनपद मीरजापुर।
☐ अपराध निरीक्षक सतेन्द्र कुमार यादव व उप निरीक्षक राम प्रताप यादव।

- मु.आ. विनय राय, अनिल कुमार यादव, सिकन्दर यादव, शिम्पू सिंह व आरक्षी प्रभात कुमार, म.आ.कृष्णा मिश्रा।